परिशिष्ट च

भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उप खण्ड (1) में प्रकाशित

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 8, 1979

अधिसूचना

सा० का० नि०.....केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का नाम प्रेस परिषद् नियम 1979 है।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में :

(क) "अधिनियम" से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 अभिप्रेत है।

(ख) "सचिव" से, परिषद् का सचिव अभिप्रेत है।

3. अध्यक्ष की सेवा की शर्तें—(1) अध्यक्ष का मुख्यालय वही होगा जो परिषद् का मुख्यालय है।

(2) अध्यक्ष को छुट्टी उसी प्रकार अनुज्ञय होगी जिस प्रकार कि वह केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञय हैं।

(3) (i) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है जो पेंशनीय सेवा का है तो वह पेंशन का हकदार होगा और वह साधारण भविष्य निधि में भी अभिदाय करेगा।

(ii) यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है जो पेंशनीय सेवा का नहीं है, तो वह ऐसी नियुक्ति की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि में

अभिदाय करेगा। किन्तु ब्याज सहित, परिषद् का अभिदाय एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् इसमें जमा किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष, परिषद् के कार्य के सम्बन्ध में यात्राएं वायुयान द्वारा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी रेल द्वारा करने का हकदार होगा और वह यात्रा तथा दैनिक भत्ता, उसके द्वारा लिए जाने वाले वेतन के अनुसार, पाने का हकदार होगा।

(5) अध्यक्ष यात्रा भत्तों के प्रयोजनार्थ अपना स्वयं नियंत्रक अधिकारी होगा।

4. अध्यक्ष से भिन्न सदस्यों को संदत्त किये जाने वाले भत्ते— परिषद् का, अध्यक्ष से भिन्न सदस्य, परिषद् के कार्य के सम्बन्ध में यात्राएं वायुयान द्वारा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल द्वारा करने का हकदार होगा और वह 75 रुपए प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. भर्त्ती की पद्धति...(1) परिषद् के अधीन पदों पर भर्ती, निम्नलिखित किसी भी पद्धति द्वारा की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) सीधी भर्ती द्वारा पद को विज्ञापित करके : परन्तु केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों के तत्स्थानी पदों की बाबत भर्ती, रोजगार कार्यालय की मार्फत की जाएगी ; या

(ख) प्रोन्नति द्वारा ; या

(ग) सरकारी कार्यालयों या पूर्णतः या भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित निकायों में, चाहे वे नियमित हों या नहीं, नियोजित व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा।

परन्तु भूतपूर्व भारतीय प्रेस परिषद् के, जिसे तारीख जनवरी 1, 1976 से विघटित कर दिया गया था, नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रथम परिषद् के सचिवालय में आमिलित किया जा सकेगा।

(2) परिषद् ऐसी चयन समितियां गठित करेगी, जो पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी जाए।

(3) परिषद् चयन समितियों की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए, पदों पर नियुक्तियां कर सकेगी।

परन्तु यदि कोई रिक्ति शीघ्र भरी जानी अपेक्षित है तो अध्यक्ष छह मास तक की अवधि के लिए तदर्थ-आधार पर किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा, किन्तु यह तब जब कि ऐसे की गई प्रत्येक नियुक्ति की रिपोर्ट, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, अनुमोदन के लिए परिषद् को की जाए तथा यदि इस प्रकार की नियुक्ति को परिषद् अनुमोदित नहीं करती है तो इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस तारीख से पद पर नहीं रहेगा जो परिषद् उस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए पदों का आरक्षण— परिषद् उन अधिकारियों के मामले के सिवाय जिनके पास ऐसी विशेष अर्हताओं का होना आवश्यक है जो परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनिश्चित की जाए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण से सम्बन्धित उन नियमों का अनुपालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त समय-समय पर अधिकथित करें ।

7. चिकित्सक प्रमाणपत्र का पेश किया जाना तथा शील और पूर्ववृत्त का सत्यापन—परिषद् के अधीन सभी पदों पर भर्ती, सामान्यतया ऐसे मानकों के, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्स्थानी स्थिति के पदों के लिए अधिकथित किए जाएं, अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के शारीरिक आरोग्यता की बाबत चिकित्सक प्रमाणपत्र के पेश कर दिए जाने और शील और पूर्ववृत्त के सम्यक सत्यापन के पश्चात् ही की जाएगी ।

8. सेवा के निबंधन और शर्तें - जब तक कि परिषद् इस निमित्त विनियम नहीं बनाती है, तब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शासित करने वाले सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार और विशेषाधिकार, यथाशक्य, परिषद् के कर्मचारियों को लागू होंगे, परन्तु परिषद् के कर्मचारी, परिषद् में नियुक्ति की तारीख से अभिदायी भविष्य निधि (भारत) में अभिदाय वित्त मंत्रालय द्वारा इस विषय पर समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार करने के हकदार होंगे ।

9. वार्षिक-रिपोर्ट—परिषद् अधिनियम की धारा 20 के अधीन तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित वार्षिक रिपोर्ट उस वर्ष की समाप्ति से जिसके बारे में वह है, चार मास के भीतर तैयार करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ 'वर्ष' से कलैंडर 'वर्ष' अभिप्रेत है ।

10. फीस का उद्ग्रहण—

(1) परिषद्, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान नीचे विनिर्दिष्ट फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों और समाचार अभिकरणों से कर सकेगी—

(क) एक लाख से अधिक संख्या में बिकने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र से 1500 रु० प्रतिवर्ष ।

(ख) 50,000 से अधिक किन्तु एक लाख से कम संख्या में बिकने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र से 1000 रु० प्रति वर्ष ।

(ग) 15,000 से अधिक किन्तु 50,000 से कम संख्या में बिकने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र से 500 रु० प्रति वर्ष ।

(घ) 5,000 से अधिक किन्तु 15,000 से कम संख्या में बिकने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र से 100 रु० प्रतिवर्ष ।

(ङ) प्रत्येक वर्ष 1 और 11 समाचार अभिकरण से 1500 रु० प्रतिवर्ष और

(च) सभी अन्य समाचार अभिकरणों से 1,000 रु० प्रतिवर्ष ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र कितनी संख्या में बिकते हैं, यह वह संख्या होगी जो भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार (भारत में मुद्रित) द्वारा प्रत्येक वर्ष को एक अप्रैल से पूर्व सबसे अन्तिम रूप में प्रकाशित रिपोर्ट में उपदर्शित की जाती है और समाचार अभिकरणों के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड वह होगा जो श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट में उपदर्शित किया जाता है ।

(2) परिषद् रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों और समाचार अभिकरणों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान रसोदी रजिस्ट्री डाक द्वारा मांग सूचनाएं भेज कर उनसे मांग करेगी कि वे उप-नियम (1) में उपदर्शित फीस परिषद् को प्रेषित करें और ऐसे रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र और समाचार अभिकरण इस प्रकार मांग की गई फीस की रकम, ऐसी सूचनाओं की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर परिषद् को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित करेंगे ।

ह०/-
(एस० रामस्वामी)
अवर सचिव, भारत सरकार